सं. केमाशिबो/संब./परिपत्र-8/2017/1217401 **दिनांक: 23.02.2017**

विषय : विद्यालय बस में विद्यार्थियों की सुरक्षा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (केमाशिबो) 'विद्यार्थी केंद्रित नीतियों' के अनुसरण का प्रबल समर्थक रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए शैक्षिक, सह शैक्षिक और स्वास्थ्य पहलू सम्मिलित हैं। विभिन्न परिपत्रों के रूप में बोर्ड द्वारा जारी परामर्शिकाएं, इसके संबद्धता उप-विधि के अनुपालन पर बल और सरकार द्वारा जारी विभिन्न निदेश तथा न्यायालयों द्वारा सुनाए गए निर्णयों का प्रयोजन इस प्रयास को सफल बनाना है।

2. इस मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री एम सी मेहता बनाम युनियन ऑफ इंडिया व अन्य के प्रकरण में 1985 की रिट याचिका (सिविल) 13029 में दिनांक 16.12.1997 के निर्णय द्वारा आदेश जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालय बसों को सुरक्षित चलाए जाने और बस में यात्रा कर रहे विद्यालय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश सम्मिलित हैं।

3. तथापि, विद्यालय से पारगमन/आने-जाने के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में कुछ विद्यालयों द्वारा अपनाए गए संवेदनहीन रवैये के बारे में मीडिया द्वारा ध्यान में लाए गए पिछले दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरणों से विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में गहरी चिंता पैदा हुई है। यह समय विद्यालयों को इस गंभीर मामले के प्रति संवेदनशील बनाने और अग्रसक्रिय उपचारात्मक उपाय करने का है जिससे विद्यालय बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना प्रत्येक सीबीएसई संबद्ध विद्यालय का मुख्य सुरक्षा ध्येय बन सके।

4. सीबीएसई परिपत्र सं.28/2004 दिनांक 26.07.2004, सं.01/2012 दिनांक 08.06.2012, सं. 20/2014 दिनांक 06.02.2014 और सं.04 दिनांक 28.10.2016 के साथ-साथ संबद्धता उप-विधि (अध्याय -II, नियम 8.5) में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं जिनका विद्यार्थियों के पारगमन के दौरान सुरक्षा के लिए प्रत्येक केमाशिबो विद्यालय द्वारा अनुसरण किया जाना है। माता-पिता द्वारा विद्यालयों पर दिखाई गई आस्था, भरोसा और उत्तरदायित्व देश के हमारे युवा नागरिकों की परवरिश में योगदान देने व अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए मुख्य मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ होना चाहिए।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों, राज्य सरकारों के निदेशों, संबद्धता उप-विधि के अंतर्गत दी गई शर्तों और सीबीएसई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यापक दिशा-निर्देश समेकित किए गए हैं, जो संलग्नक-I में दिए गए हैं। सभी संबद्ध विद्यालयों द्वारा संबद्धता उपविधि के अभिन्न अंग के रुप में इन दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण व अनुपालन करना चाहिए।

6. इस संबंध में किसी गलती के लिए केमाशिबो संबद्ध विद्यालयों के प्रमुख व प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिस कारण संबद्धता उप-विधि के तहत प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की असंबद्धता सहित कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

(के. श्रीनिवासन)
उप सचिव (संबद्धता)

प्रतिलिपि सूचना व अनुपालन हेतु:

I. केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य

II. केमाशिबो से संबद्ध प्राइवेट गैर-वित्तपोषित विद्यालयों के सभी प्रबंधक

III. शिक्षा निदेशक, दिल्ली, चंडीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, पोर्ट ब्ल्येर

IV. सभी राज्यों के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।

V. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-इनस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016

VI. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली

VII. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर -3, रोहिणी-85

VIII. अध्यक्ष के कार्यपालक अधिकारी, केमाशिबो

IX. केमाशिबो के सभी विभागाध्यक्ष

X. निदेशक (सू.प्रौ.), केमाशिबो, दिल्ली - परिपत्र को केमाशिबो वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

XI. संयुक्त सचिव (प्रशा. व विधि), केमाशिबो, प्रीत विहार, दिल्ली

XII. संयुक्त सचिव (समन्वय), केमाशिबो, दिल्ली

XIII. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय कार्यालय- उनसे संबंधित क्षेत्र में सभी संबद्ध विद्यालयों को बल्क मेल द्वारा परिपत्र व दिशा-निर्देशों के प्रसार हेतु

XIV. जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो, दिल्ली - उपयुक्त प्रचार-प्रसार हेतु

XV. अनुसंधान अधिकारी (प्रौद्योगिकी), संबद्धता, केमाशिबो - सभी हितधारकों को आगे परिचालन हेतु।

XVI. गार्ड फाइल

(के. श्रीनिवासन)
उप सचिव (संबद्धता)

संलग्नक - I

विद्यालयों में परिवहन सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश

1. बस का बाहरी स्वरूप

i. सभी स्कूल बसों पर पीला पेंट होना चाहिए तथा बस के दोनों और स्पष्ट रूप से विद्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

ii. विद्यालय बच्चों को ले जाने वाली बस के सामने और पीछे ''स्कूल बस'' लिखा होना चाहिए। यदि यह भाड़े की बस है तो ''स्कूल ड्यूटी पर'' स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।

iii. प्रत्येक विद्यालय बस पर ड्राइवर का ब्यौरा (नाम, पता, लाइसेंस संख्या, बैज संख्या), विद्यालय अथवा मालिक का टेलीफोन नम्बर, परिवहन विभाग की हैल्पलाइन संख्या व वाहन की पंजीकरण संख्या बस के बाहर व भीतर प्रमुख स्थानों पर परस्पर विपरीत रंगों में दर्शाए जाने चाहिए। यह बस में सभी यात्रियों को और जनता को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर विद्यालय प्राधिकारी/पुलिस अथवा अन्य प्राधिकारियों को सूचित किया जा सके।

2. बस का भीतरी स्वरूप

i. बस की खिड़कियों पर समस्तर ग्रिल और तारों की जाली लगी हो।

ii. बस के दरवाजों पर अच्छी किस्म के ताले लगे हो जिन्हें बंद किया जा सके।

iii. विद्यालय प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय बस में बाहर निकलने के आपातकालीन दरवाज़े बने हों।

iv. विद्यालय बसों में 40 कि.मी. प्रति घण्टा की अधिकतम गति सीमा सहित गति नियंत्रण प्रणाली/साधन लगे होने चाहिए।

v. विद्यालय प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय बस में एबीसी प्रकार के 05 कि.ग्रा. क्षमता और आईएसआई मार्क के 02 अग्निशमन यंत्र हों। इनमें से एक ड्राइवर केबिन व दूसरा आपातकालीन बाह्य दरवाज़े के समीप होना चाहिए। इसी तरह चालक, परिचालक व महिला परिचर/गार्ड को अग्निशमन यंत्र के प्रचालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

vi. विद्यालय बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय बसों की सीटें गैर दहन सामग्री की होनी चाहिए।

vii. प्रत्येक विद्यालय बस के लिए ग्लोबल पोज़िशनिंग प्रणाली (जीपीएस) व सीसीटीवी व्यवस्था अनिवार्य की गई होनी चाहिए। बस के मालिक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थापित जीपीएस एवं सीसीटीवी हर समय कार्य स्थिति में हो।

3. बस में जनशक्ति

i. प्रत्येक विद्यालय को एक परिवहन प्रबंधक पद नामित करना चाहिए जिसे विद्यालय बस द्वारा यात्रा करने वाले विद्यालय छात्रों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। विद्यालय के परिवहन प्रबंधक का नाम एवं संपर्क ब्यौरा विद्यालय बस के बाहर व भीतर सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. विद्यालय बस के ड्राईवर के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिए और भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

iii. चालक के अतिरिक्त, प्रत्येक बस में एक परिचालक तैनात होगा, जिसके पास एक वैध लाइसेंस होगा और जिसकी अर्हताएं, कर्तव्य और कार्य मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 17 में निहित प्रावधानों के समरुप होने चाहिए।

iv. यात्रा के दौरान विद्यालय छात्रों के साथ के लिए विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक विद्यालय बस में कम से कम एक सु-प्रशिक्षित महिला परिचर, जो अधिमानत: महिला रक्षक हो, का प्रावधान किया जाएगा, जो पूरी यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी तथा बच्चों को सुरक्षित चढ़ने तथा उतरने हेतु पर्याप्त सहायता भी करेगी।

v. विद्यालय प्राधिकारियों को स्वैच्छिक तौर पर एक व्यवस्था विकसित करने का निदेश दिया जाता है कि, जहां तक संभव हो, प्रत्येक विद्यालय बस में कम से कम एक माता-पिता उपस्थित हो, जो यात्रा के दौरान बस में उपस्थित चालक तथा अन्य स्टाफ के आचरण का निरीक्षण करे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि सुरक्षा उपायों का अक्षरश: पालन हो रहा है और चालक ध्यानपूर्वक बस चलाता है।

vi. बस चालक, परिचालक, प्राधिकृत सु-प्रशिक्षित महिलागार्ड व बच्चों के एक माता या पिता के अतिरिक्त विद्यालय बस में किसी भी बाह्य व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में चढ़ने की अनुमति नहीं है।

4. बस में सुविधाएं

i. विद्यालय बस में एक प्रथम उपचार बॉक्स पीने का पानी होना चाहिए।

ii. विद्यालय बैग सुरक्षित रखने के लिए बस में सुविधाजनक जगह अथवा सीटों के नीचे जगह बनाई जानी चाहिए।

iii. विद्यालय बसों में अलार्म और साइरन लगा होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में प्रत्येक को सजग किया जा सके।

iv. विद्यालय बस में पर्दे अथवा फिल्म वाले शीशे नहीं लगे होने चाहिएं।

v. विद्यालय बस के भीतर पर्याप्त सफेद प्रकाश होना चाहिए।

vi. विद्यालय बस के भीतर क्रिया-कलाप बाहर से दिखाई देने चाहिएं जब भी बस रोड पर चल रही हो।

5. परमिट (अनुज्ञा पत्र)

i. संबद्ध विद्यालय द्वारा स्वयं स्वामित्व का अथवा भाड़े पर ऐसा वाहन नही लिया गया हो जिसका वैध अनुज्ञा पत्र नहीं है या जो राज्य परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित परमिट (अनुज्ञा पत्र) शर्तों को पूरा नहीं करता है।

ii. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार विद्यालय बस व बस में यात्रियों का वैध बीमा होना चाहिए।

iii. आंखों की जांच सहित ड्राईवर की शारीरिक स्वस्थता से संबंधित चिकित्सा जांच हर वर्ष की जाएगी। मोटर परिवहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

iv. विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा ऐसे ड्राईवर को जिसका लाल बत्ती पार करने, लेन अनुशासन का उल्लंघन करने अथवा अनाधिकृत व्यक्ति को चलाने की अनुमति देने जैसे अपराधों के लिए एक वर्ष में दो से अधिक बार चालान किया गया हो, नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

v. किसी ड्राईवर का तेजगति, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने अथवा भारतीय दंड सहिता की धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत अथवा पी.ओ.एस.सी.ओ. अधिनियम 2012 के तहत अपराध के लिए एक बार चालान होने पर उसे विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा रोजगार पर नहीं रखा जा सकता है।

vi. ड्राइवर भूरे रंग की जैकेट व पतलून अथवा राज्य परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी पहनेगा जिस पर विद्यालय बस के मालिक के नाम सहित उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो।

vii. विद्यालय बस ऐसे चालक द्वारा चलाई जाएगी जिसके पास राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित वैध पब्लिक सेवा वाहन बैज हो।

viii. यदि विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है, तो यात्रा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बैठने की अनुमत्य क्षमता 1/½ गुणा से अधिक नही होगी और 12 वर्ष से अधिक आयु वाला विद्यार्थी एक व्यक्ति के समतुल्य माना जाएगा।

ix. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार विद्यालय बस की रोड के लिए उपयुक्तता के संबंध में एक आवधिक उपयुक्तता प्रमाण पत्र लिया जाएगा।

x. कोई भी विद्यालय प्राधिकारी और/अथवा विद्यालय बस का ड्राईवर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा बोर्ड, राज्य सरकार अथवा न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता पाए जाने पर अवश्य सजा दी जानी चाहिए।

xi. बसें भाड़े पर लिए जाने की स्थिति में, विद्यालय प्राधिकारी का विद्यालय बस के मालिक/ट्रांसपोर्टर के साथ 'वैध करार' होना चहिए तथा ऐसे करार की एक प्रति चालक को रखनी चाहिए।

xii. विद्यालय बस में परिचालक के पास यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के नाम, कक्षा, निवास का पता, ब्लड ग्रुप, विराम स्थल, रूट प्लान के ब्यौरे का रिकार्ड सदैव तैयार होना चाहिए।

xiii. विद्यालय बच्चों के ले जाने के लिए जब एक अनुबंध गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो वाहन मालिक द्वारा चालक का नाम व वाहन इत्यादि का स्पष्ट विवरण के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन व संबंधित जिला ट्रैफिक पुलिस प्राधिकारियों को सूचना देनी चाहिए।

xiv. **विद्यालय बस चालकों के लिए विद्यालय बस चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना वर्जित है व एक सीमा से अधिक विद्यार्थियों तथा बस स्टाफ से बातचीत करना वर्जित है।**

विद्यालयों द्वारा व्यवस्था

i. विद्यालय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि चलती अवस्था में बसों के दरवाजें बंद रहें।
ii. वे सुनिश्चित करेंगे कि बसे केवल चिन्हित क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए नियत बस स्टॉप पर रूकेंगी।
iii. विद्यालय प्राधिकारी स्कूल बस में बच्चों को चढ़ाने तथा उतारने के लिए सुरक्षित व्यवस्था करेंगे।
iv. विद्यालय बस में विद्यालय बच्चों के चढ़ने व उतरने के समय विद्यालय बस स्थिर अवस्था में रहेंगी।
v. विद्यालय बसों के चालकों की चालन प्रवीणता को ठीक करने व बढाने के लिए आवधिक रूप से अर्थात एक वर्ष में दो बार ड्राईवर प्रशिक्षण का पुनश्चर्या कोर्स कराया जाएगा।
vi. ड्राईवर को नशे की हालत में बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा नियिमत जांच की जाएगी। इस संबंध में कोई संदेह होने की स्थिति में ऐसे ड्राईवरों की तत्काल 'चिकित्सा जांच' कराई जानी चाहिए और ड्राइविंग लाईसेन्स रद्द करने की कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
vii. विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक विद्यालय बस में एक मोबाइल फोन अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आपात स्थिति में विद्यालय बस से संपर्क किया जा सके या विद्यालय बस का चालक/परिचालक/ड्राइवर/परिचालक पुलिस अथवा राज्य प्राधिकारियों के साथ-साथ विद्यालय प्राधिकारी से संपर्क कर सके।
viii. विद्यालय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय बसों को अन्य किसी वाहन (चार पहियोंवाला) को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं दी जाती है जब बस में स्कूल छात्र यात्रा कर रहें हो।
ix. विद्यालय प्राधिकारी विद्यालय कि बस में चढ़ते, यात्रा करते तथा उतरते समय छात्र अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चत करेंगे ताकि किसी छात्र को चोट न लगे।
x. विद्यालय प्राधिकारी विद्यालय बच्चों के चढ़ते तथा उतरते समय विद्यालय बसों की पार्किंग की उचित व्यवस्था स्कूल कैम्पस में करेंगे।
xi. यदि वाहनों को स्कूल कैम्पस में पार्क करना संभव न हो तो, बसों को इस तरह से पार्क करना चाहिए कि ये अन्य वाहनों के लिए कोई यातायात समस्या पैदा न करें।
xii. स्कूल परिवहन सुविधा का प्रयोग करने वाले बच्चों से समय-समय पर ड्राईवर/परिचालक के संबंध में प्रतिपुष्टि ली जाए और रिकार्ड रखा जाए।
xiii. विद्यालय प्राधिकारियों को जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान नाटक, प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

6. माता-पिता को परामर्श

i. विद्यालय यात्राओं के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता-पिता समान रूप से उत्तरदायी हैं।

ii. माता-पिता अवश्य सुनिश्चित करें कि विद्यालय प्राधिकारियों अथवा उनके द्वारा व्यवस्थित परिवहन का माध्यम बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित हो।

iii. उन्हें विद्यालय बसों के चालक और अन्य स्टाफ द्वारा किए गए उल्लंघनों को नोट करना चाहिए और विद्यालय प्राधिकारियों अथवा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए।

iv. माता-पिता को पी.टी.ए. बैठकों में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और अपने बच्चों के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए।

v. माता-पिता को ऐसे वाहनों की परिवहन सेवाएं लेने से बचना चाहिए जिनके पास विद्यालय बच्चों को ले जाने का वैध लाइसेंस न हो।

vi. इस संवेदनशील विषय पर माता-पिता द्वारा सजग प्रेक्षक की भूमिका निभानी चाहिए।

(के. श्रीनिवासन)
उप सचिव (संबद्धता)